



सत्यमेव जयते

S/P

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-925/RJ/2/2023-SSW

दिनांक: 08/06/2023

1. श्रीमती उषा शर्मा

मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
सचिवालय,
जयपुर, (राजस्थान) - 302005
Email Id: csraj@rajasthan.gov.in
Tel. No: 2227254

2. श्री हेमंत कुमार गेरा

प्रमुख सचिव,
कार्मिक विभाग,
राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर,
जयपुर, (राजस्थान) - 302005
Email Id: secy-dop@rajasthan.gov.in

विषय: राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी का निलम्बन एवं उत्पीडन करने के संबंध में - श्री रवि मीना, निलम्बित सहायक आचार्य, कॉलेज शिक्षा, सहायक निदेशक कार्यालय, कोटा सम्भाग, कोटा का दिनांक 26.05.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Ravi Meena से दिनांक 26.05.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)

अनुसंधान अधिकारी / Research Officer

दूरभाष सं.: 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थः

Ravi Meena,
74 New Akashwani Colony,
Nayapur, Near JDB College,
Kota, (Rajasthan) - 324001
(Email: asstprof.ravimeena@gmail.com)
(Mobile No: 9166520045)
(कृपया अपना वर्तमान पद, कार्यालय का नाम तथा पत्र व्यवहार का पता आयोग को सूचित करने का कष्ट करें।)

NIC, NCST (please upload on the website)